न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 101/2023

प्रार्थी :– मेहता हिन्दुमल बच्छराज चेरिटेबल ट्रस्ट पाटोदी जरीये अध्यक्ष मेहता मुकेश कुमार पुत्र छोगालाल जाति मेहता निवासी पाटोदी हाल अहमदाबाद

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यु बायतु।
2. ग्राम पंचायत पाटोदी जरीये सरपंच ग्रं प. पाटोदी तहसील पचपदरा।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत , प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 03 एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :– 05.06.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की सरहद मौजा ग्राम पाटोदी, पटवार हल्का पाटोदी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 4045/3690 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि मे अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी [illegible] भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 03 के नोटिस तामील हुआ प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 03 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा ग्राम पाटोदी, पटवार हल्का पाटोदी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 4045/3690 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 03 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम पाटोदी, पटवार हल्का पाटोदी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 4045/3690 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा ग्राम पाटोदी, पटवार हल्का पाटोदी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 4045/3690 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। प्रार्थी ने तहसीलदार से सीमाज्ञान का आदेश लेकर दिनांक 16/02/2023 को सीमाज्ञान भी करवाया , ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम पाटोदी, पटवार हल्का पाटोदी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 4045/3690 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा